नही है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज भी नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजीयात से बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

12. अपील संख्या 20/2016 के वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथनकिया कि अपीलान्ट जरिये इकरारनामा से भूमि रेस्पोडेन्ट भैरू से क्रय की गई है। माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली के यहा धारा 175 के तहत प्रकरण विचाराधीन है। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम जरिये रजिस्ट्री उक्त आराजी को बेचान कर दी तथा नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 746 तस्दीक कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुसुचित जनजाति का व्यकित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भी अनुसुचित जनजाति का व्यक्ति है। कानुनन अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति के नाम भूमि का विक्रय किया जा सकता है। इसलिए दिनांक 07.09.2015 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बेचान किया है। इसी आधार पर नामान्तकरण खुला है। विक्रय पत्र को वकील अपीलान्ट ने कभी कोई चुनौती देना नही बताया है। इसलिए उक्त नामान्तकरण खारिज योग्य नही है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 01/2016 स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजीयात 20/1.08, 31/0.4, 35/0.45 वाके मौजा जीणगौर तहसील कोटपूतली से बेदखल किया जाता है तथा अपील संख्या 20/2016 उनवानी हजारी बनाम नायब तहसीलदार खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लोटाई जावे।

14. यह निर्णय आज दिनांक 9.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)